[Shri P. Rajgopal Naidu]

facing problems regarding selling the surplus stocks of paddy with them.

Now the Central Government and the Punjab government should come to an understanding between themof paddy in the state. If it is not done, selves in purchasing all the surpluses soon, there will be frustration among the agriculturists and there will be a set-back to the increased production of paddy.

Meanwhile the government should explore the posibilities of exporting rise, especially finer varieties of rice in larger quantities so as to help the agriculturists.

(x) NEED TO PROTECT THE SAMADHI OF LATE RAJA MAHENDRA PRATAP, A FREEDOM FIGHTER

श्री दिगम्बर सिंह (मयुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 277 के ग्रधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकियक करना चाहता हूं।

'देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त व त्यागी नेता स्व० राजा महेन्द्र प्रताप जिन्होंने अपनी रियामत के एक भागका दान कर के प्रेम महाविद्यालय, जो दस्त-कारी के साथ पढ़ाई कराने वाला प्रथम विद्यालय था, की स्थापना की । देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले कांतिकारी नेता राजा साहब को ग्रंग्रेजी सरकार ने बिद्रोही घोषित करके 32 वर्ष तक ग्रपने देश में नहीं जाने दिया । दान के बाद बर्चा हुई उन की समस्त रियासत की जब्त कर लिया ग्रीर वह जब्त की हई रियासत देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी वापम नहीं मिली। विदेशों में रह कर 1914 के प्रथम विश्व यद्ध के समय देश की स्वतन्त्र सरकार की काबल में स्थापना की । ग्रंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यद्ध क्री घोषणा की । उस सरकार को

भ्रन्य कई देशों की सरकारों ने मान्यता दो। स्वर्गवासी होने से पूर्व भ्रपने परिवार के स्थान पर प्रेम महाविद्यालय के लिये वर्ची हुई सम्पत्ति की वसीयत की।

उन की इच्छा के अनुसार यमुना के किनारे प्रेम महाविद्यालय के सामने राजकीय सम्मान के साथ उनके पाथिव गरीर को यमुना की बालू में समाविष्ट किया गया । प्रदेश के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन का स्मारक बनाने का आध्वामन दिया था।

केन्द्रीय सरकार के श्रावास मंत्री ने 8 जुलाई, 1980 को श्रतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार के सम्मुख राजा माहब के स्मारक का विषय विचाराधीन नहीं है।

देश के महान देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, ग्रमाधारण त्यागी नेता राजा महेन्द्र प्रताप, जिन्होंने समस्त देशों की एक सरकार संसार सघ बनाने की विचारधारा रखी, सब धर्मो के विचारों को लेकर प्रम धर्मकी स्थापनाकी, जिन को देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमर्वी इन्दिरा गांधी ने जहां स्वतंत्रता सनानियों को ताम्प्रपत्न व पेंजन दे कर सम्मानित करके प्रशंसनीय कार्य किया था वही सर्वप्रयम ताम्प्रपत्र राजा महेन्द्र प्रताप को देकर ग्रीर उन्हीं के सभापतित्व में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके विश्वय प्रशंसनीय कार्य किया था । वे ही देश की स्वतवता मेनानियों की समिति के सभापति थे । श्राज यमुना के किनारे बालू में बनी उनक़ी समाधि यमुना की बाढ़ के कारण खतरे की स्थिति में पहुंच गई है। कभी भी उनकी समाधि उनके पार्थिव गरीर के साथ यमुना में बह सकती है । यदि ऐसा

(Regulation of

Amdt, Bill

हम्रातो माने वालो पोढ़ो हम लोगों को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी।

माननीय प्रवान मंत्री श्रीमती गांधी. जिनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान है, जिसका प्रमाण लोक सभा के इसी सब में स्वतंत्रता सेनानियों की वें जन बढ़ाकर श्रीर उसे सम्माननीय बना कर एक प्रजंसनीय कार्य किया है, से निवेदन है कि इस ग्रसाधारण महत्व के कार्य में उन की समाधि की रक्षा के लिसे व्यवस्था करने की कृपा करें। इम समाधि की रक्षा किया जाना इसलिए की प्राचक्यक है क्योंकि वह ग्राने वाली पीढियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य की मैं मदन, सरकार ग्रीर माननीय प्रधान मंत्री जी की जानकारी के लिए रखारहा है।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: Certain things which have been read by you have not been approved by the Speaker. Only those things which have been approved by the Speaker will go on record. This is for your information.

14.52 hrs.

DOCK WORKERS (REGULATION AMENDMENT OF EMPLOYMENT) BILL--Contd.

ľ.

DEPUTY-SPEAKER: House will now take up further consideration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill.

श्री गिरधारी लाल ब्यास (भील-वाडा): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने भ्रपनी बात शुरू की थी भ्रीर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। 1832 LS-13

मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हं कि यह जो डाक वर्कम रेगुलेशन ग्राफ एम्पल ।यमेंट एक्ट, 1948 है, यह बहुत पुराना पड़ गया है। इमलिए इमके जितने भी मेक्शन्स है, उन के जरिये से अगर इस सारे वर्क को रेगूलेट करें, तो निश्चित रूप से बहत सारी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में उपस्थित हो सःतः हैं। इललिए मैं बहत सारे सेक्शन्स के मम्बन्ध में ग्रपने विचार ग्राप के सामने रखना चाहता हूं। इन सारे सक्शन्म में कुछ तरमीम होनी चाहिए जिस से डाक में जो कामगार काम करते हैं, उन को सारी सुविधाएं मिल सकों । मैंने उस दिन ग्राप से निवेदन किया था कि डाक्स के अन्दर जो वर्कर्स काम करते हैं, उन को रेगुलर करने के लिए पर्मानेन्ट और टेम्पोरेरी की स्ववस्था की बात इस में कही गई है मगर डाक्स में ग्राँर भी बहुत सारे वर्कस काम करते हैं, जिन के बारे में इस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसे ग्राप के केजग्रल वर्कर्स हैं, जो वहां काम करते हैं या ग्रीर भी तरह के वर्कर्स हैं जो रेगुलर या पर्मानेन्ट एम्पलाइज के स्थान पर काम करते हैं । वे उन के स्थान पर काम करते हैं ग्रांर वे ग्राल्टरनेट रूप से काम करते हैं, जिन को कुछ स्थानों पर बदली के वर्कर्स के नाम से पुकारा जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो एप्रेन्टिस के तोर पर डाक्स में काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार का प्रविधान इस नये एमेंडमेंट बिल में नहीं किया गया है या इस एक्ट में नहीं है। केवल इस प्रकार की बात इस में रखी गई है कि कोई एक्ट या बिल जब बनायेंगे, तो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे । इस तरह से टाक वर्कर्स की समस्यात्रों का समाधान नहीं हो पाएगा । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से इस बिल के